न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :— 96/2024

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र फुलाराम
2. अमर सिंह पुत्र फुलाराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2. ओमप्रकाश पुत्र मूलचंद जाति मीणा
3. महादेव पुत्र मूलचंद जाति मीणा

4 आशा पत्नी विक्रम मीणा
5 ओमप्रकाश पुत्र मक्खन
6 कैलाश पुत्र मक्खन
7 कालुराम पुत्र परमानन्द
8 गजानन्द पुत्र परमानन्द
9 जगदीश पुत्र मक्खनलाल
10 दडकी देवी पत्नी मक्खनलाल
11 दयाल पुत्र शिवजी
12 दामोदर पुत्र परमानन्द
13 बुद्धीप्रकाश पुत्र परमानन्द
14 बद्रीनारायण पुत्र परमानन्द
15 बनवारी पुत्र शिवजी
16 सुभाष पुत्र शिवजी
17 सुरज्ञान पुत्र परमानन्द
18 सुरेश पुत्र सावताराम
19 साधुराम पुत्र सावताराम
20. सीताराम पुत्र सावताराम

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

समस्त जाति मीणा निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज0)

21.प्रभाती देवी पत्नी मालीराम
22. भीवाराम पुत्र मूलचंद
23. रामकुवांर पुत्र मालीराम
24. रामकुवांर पुत्र जगदीश
25.रामसहाय पुत्र मूलचंद
26.सुन्दर पुत्र भगवानसहाय
27.सुरज मल पुत्र भगवानसहाय

समस्त जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज)

28.अनील पुत्र नाहरमल
29.जमना पत्नी नाहरमल

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

30.मनीष पुत्र नाहरमल
31.हंसा पुत्री नाहरमल
32.जुगनु पुत्र रामनिवास
33.माया देवी पत्नी रामनिवास
34.विक्रम उर्फ शेरसिंह पुत्र रामनिवास
35.विजय कुमार उर्फ विजन पुत्र रामनिवास
36.सुमित्रा पुत्री रामनिवास
समस्त जाति मीणा निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक —— 31/01/2025

उपस्थितः— प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मंगलचंद यादव

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैकि हाल आराजी खं0नं0 2276/0.05, 2277/0.10, 2356/0.15 /1.65,कुल किता 4 कुल रकबा 1.95 हैक्टर भूमि वाकै ग्राम भोमदास नगर पटवार हल्का रामपुरा ील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं गण संख्या 1 एवं 2 उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग—उपभोग में आ रहा हैं । प्रार्थीगण संख्या 1 एंव 2 दिनांक 22.05.24 को तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क/सीमाज्ञान/2024/18 दिनांक 09.05.2024 की पालना में आराजी खं0नं0 2276/0.05, /0.10, 2356/0.15 2357/1.65,कुल किता 4 कुल रकबा 1.95 हैक्टर भूमि वाकै ग्राम भोमदास पटवार हल्का रामपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा सीमाज्ञान किया गया प्रार्थीगण संख्या 1 2 द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 2276/0.05, 2277/0. 2356/0.15 2357/1.65,कुल किता 4 कुल रकबा 1.95 हैक्टर के पास स्थित आराजी काश्तकार र्थीगण 2 लगा0 37 व उनके परिवारजन द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि की सीमाओ पर जबरन ताकत बल पर अतिक्रमण कर भूमि की सीमा काटकर अपनी भूमि में मिलाने की लगातार धमकी प्रार्थीगण या 1 एंव 2 को दे रहे हैं ।

प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के ार पत्थर गढी करवाना चाहते हैं ।प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र पेश होने पर रिर्पोट सरिस्ता ली र तथा प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 एडी से सूचित किया तथा अप्रार्थीगण 2 लगा0 37 की जरिये जरिये रजि0 एडी से तामील हो चुकी हैं,बावजूद तामील र्थी संख्या 2 लगा0 37 अनुपस्थित ना ही कोई जवाब पेश किया गया अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय र्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।

ावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की बहस पर मनन किया।पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। र्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के ाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं,तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद ीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय हैं।जिसके अभाव में श्तकार अपनी सीमाचिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं।प्रार्थी की मौके पर पत्थरगढी

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

नही होने व असंतुष्ट होने के कारण तथा मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी ख0नं0 2276/0.05, 2277/0.10, 2356/0.15 357/1.65,कुल किता 4 कुल रकबा 1.95 हैक्टर भूमि वाकै ग्राम भोमदास नगर पटवार हल्का रामपुरा त0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक .05.2024 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/01/2025 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)